(IV) पूरे सरकारी सेवा अवधि में ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय उत्क्रमण की गणना श्रेणी विशेष, जिसमें सम्बन्धित सरकारी सेवक सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो, से उपभोगित नियमित प्रोन्नति के विरुद्ध की जायेगी। तात्पर्य यह कि ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय उत्क्रमण तभी उपलब्ध होगा, जब निर्धारित अवधि (12 वर्ष एवं 24 वर्ष) में सरकारी सेवक द्वारा कोई नियमित प्रोन्नति का उपभोग नहीं किया गया होगा। अगर कोई कर्मी पहले ही नियमित प्रोन्नति पाकर ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत अनुमान्य द्वितीय वित्तीय उन्नयन का वेतन मान प्राप्त कर रहा हो तो वैसी स्थिति में उन्हें अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई कर्मी पहले ही एक नियमित प्रोन्नति पा चुका है, तो वह ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण हेतु केवल 24 वर्षों की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् ही पात्र होगा। अगर कोई कर्मी नियमित आधार पर पूर्व में ही दो प्रोन्नति प्राप्त कर चुका है तो उन्हें ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा।

(V) ए0सी0पी0 योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु परिवीक्षा अवधि (नियमित सेवा) की गणना श्रेणी विशेष, जिसमें सम्बन्धित कर्मी सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो और वित्तीय उत्क्रमण विचाराधीन हो, से की जायेगी।

(VI) ए0सी0पी0 योजना के तहत वित्तीय उत्क्रमण हेतु सामान्य प्रोन्नति मानकों यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता की प्राप्ति आदि, जो भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली में निहित है, को प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(VII) वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद भी पदधारक मूल पद के कर्त्तव्यों का ही सम्पादन/निर्वहन करेंगे तथा पदनाम भी सम्वर्गीय पद की रिक्ति एवं उसके विरुद्ध नियमित प्रोन्नति होने तक पूर्ववत् रहेगा। एकाकी पद होने की स्थिति में पदधारक अनुसूची-I में वर्णित अगले वेतनमान में वित्तीय उत्क्रमण का लाभ प्राप्त करेंगे किन्तु पद रिक्त होते ही वह मूल कोटि का हो जायेगा।

(IX) इस योजना के तहत् वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान के आधार पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को सरकारी आवास का आवंटन, गृह निर्माण अग्रिम सहित अन्य अग्रिम का लाभ देय होगा, किन्तु राजकीय उत्सवों, अलंकरण समारोहों, उच्चतर पदों पर प्रतिनियोजनों आदि के लिये वे अपने मौलिक/निम्नतर वेतनमान के अनुरूप ही सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(X) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन सरकारी सेवक को उसके सम्वर्ग के लिये विशिष्ट रूप से निर्धारित वर्त्तमान पद श्रृंखला के वेतनमानों में मिलेगा और

....4